ज़कात में बुनियादी ज़रूरत

(ज़कात से सम्बन्धित मसअले)

ज़कात से सम्बन्धित विभिन्न मसअलों पर शरीअत के निर्देशों को समझने के लिए फ़िक्ह अकेडमी के पांचवें सेमिनार में ग़ौर किया गया। यह सेमिनार 30 अक्टूबर 1992 ई0 (3-6 जमादिउल अव्वल 1413 हि0) को जामिया तुर्शाद आज़मगढ़ में आयोजित हुआ। जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित हुए।

ज़कात वाजिब होने की शर्त और हद

ज़कात वाजिब होने के लिए जो शर्तें हैं उनमें बुनियादी शर्त यह है कि आदमी के पास उसकी वास्तविक ज़रूरत से ज्यादा माल हो। वास्तविक ज़रूरत में निम्न लिखित ख़र्च शामिल हैं, और इसके निर्धारण के निम्न उसूल हैं:

1- अपने और अपने बाल-बच्चों तथा अपने अन्य अश्रितों (क़िफ़ालत में रहने वालों) से सम्बन्धित सामान्य ख़र्चे।

2- रिहायशी मकान, कपड़े, सवारी, उद्योगिक यन्त्र व औज़ार, मशीनें और रोज़गार हासिल करने के साधन।

3- वास्तविक ज़रूरत (हवाइज-ए-असली) का निर्धारण हर ज़माने, क्षेत्र और लोगों के निजी हालात और जीवन स्तर के अनुसार होगा।

4- वास्तविक ज़रूरतों की मद में जीवन के समस्त सामान्य ख़र्च शामिल हैं और उनका आधार साल भर के ख़र्च को बनाया जाएगा। आने वाले साल की ज़रूरतों के लिए जो पूंजी रखी जाएगी, ज़कात निकालते वक़्त वास्तविक ज़रूरतों में गिन कर ज़कात के माल से अलग नहीं की जाएगी।

☆☆☆